राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, पशु पोषाहार संस्थान, आगरा रोड, जयपुर।

कार्यालय दूरभाष 0141–2680963 ई–मेल ddanimalnutrition@gmail.com

क्रमांक :– 172 दिनांक :– 04.06.2019

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के अनुपयोगी/अप्रचलित सामानों (जिनका कुल मूल्य लगभग 8.10 लाख रूपये हैं) जैसे विभिन्न धातुओं के उपकरण/मशीनरी, लकडी व लोहे का स्क्रेप इत्यादि की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 24.07.2019 को दोपहर 12.00 बजे कार्यालय परिसर में की जायेगी। नीलामी से संबंधित शर्तों एवं नीलाम किये जाने वाली सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में किया जा सकता हैं।

उप निदेशक

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, पशु पोषाहार संस्थान, आगरा रोड, जयपुर।

कार्यालय दूरभाष 0141–2680963 ई–मेल ddanimalnutrition@gmail.com

क्रमांक :–179

दिनांकः–04.06.2019

नीलामी की शर्तें

दिनांक 24.07.2019 को कार्यालय उप निदेशक, पशु पोषाहार संस्थान, आगरा रोड़, जयपुर में आयोजित नीलामी की आवश्यक शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी तिथि को नीलामी से पूर्व धरोहर राशि रूपये 16,200/– प्रातः 11:30 बजे तक केशियर के पास जमा कराकर टोकन प्राप्त करना होगा। धरोहर राशि जमा नहीं कराने वाले को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। उक्त धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर अधिकतम बोलीदाता की राशि समायोजित कर ली जायेगी तथा दूसरे अधिकतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं को राशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
2. उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा 24 घंटे के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराने पर उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. नीलामी अधिकतम बोली लगाने वाले के नाम छोड़ी जायेगी।
4. बोली निर्धारित दिनांक को 12:00 बजे दोपहर से प्रारंभ कर दी जायेगी।
5. नीलामी बोली के समय अवधि को बढ़ाने का नीलामी समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को बोली की रकम के साथ नियमानुसार देय जी.एस.टी. भी बोली के अतिरिक्त जमा कराना होगा। बोली छूटने की राशि का 25 प्रतिशत उसी समय तथा शेष राशि 24 घंटे के भीतर जमा करानी होगी।
7. नीलामी किये जाने वाला सामान जैसा है जिस स्थिति में है विक्रय किया जायेगा।
8. नीलामी समाप्त होने पर उच्चतम बोलीदाता पूरी राशि जमा कराने के बाद ही सामान ले जा सकता हैं। सामान उठाने/ले जाने के लिए कोई सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं होगी।
9. विक्रय किया हुआ सामान वापिस नहीं लिया जायेगा।
10. नीलामी समिति को किसी कारणवश नीलामी निरस्त करने, बोली अस्वीकार करने का समस्त अधिकार होंगे तथा इसके कारण स्पष्ट कराने की बाध्यता नहीं होगी।
11. बोलीदाताओं को जीएसटी पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।

उप निदेशक